15

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय म0प्र0
तुलसीनगर (1250) भोपाल–462003
ई–मेल : dpswsbpl@mp.nic.in. दूरभाष– कार्या0 2556916 फैक्स 252665

क्र/सा0 सहा03/2017/880 भोपाल दिनांक 18.7.2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश.
2. समस्त आयुक्त,
   नगर निगम, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकरी,
   जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।

विषयः– भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राही के बैंक खाते में जमा की गई राशि के आहरण पर रोक नहीं लगाने बाबत्।

–––

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुक्त संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक.प्रा. वि.वि./सा.सु.पे./सविसं/2017/2257, दिनांक 03–07–2017 द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा उनके बैक खाते में जमा की गई राशि पर बैंक शाखाओं द्वारा खाते में होल्ड अथवा राशि आहरण पर रोक लगा दी जाती है, जिसके कारण हितग्राही अपने खाते से राशि का आहरण नहीं कर पाते है।

आप अवगत ही है कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा किसी योजना अंतर्गत निर्गमित राशि किसी विशेष उदेश्य के लिये निर्गमित की जाती है । ऐसी राशि को बैंक द्वारा अपने ऋणों की वसूली में समायोजित नहीं किया जा सकता है। अपितु हितग्राही द्वारा ऐसे उदेश्य की पूर्ति हेतु ही राशि का उपयोग करना होता है।

अनुरोध है कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा किसी योजना अंतर्गत निर्गमित राशि के आहरण पर किसी प्रकार की रोक अथवा ऐसे खाते से उक्त राशि

16

के आहरण हेतु होल्ड नहीं लगाया जाये। साथ ही ऐसी राशि को हितग्राही के किसी अन्य ऋण के विरूद्ध भी समयोजित नहीं किया जाये।

(नीलम शमी राव)
आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
संचालनालय म.प्र.

पृ0क्रमांक / सा.सहा. 3 / 2017 / 881 भोपाल, दिनांक 18-7-2017

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक,माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग ।
4. आयुक्त, संस्थागत वित्त, म0प्र0 ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन भोपाल के पत्र क्र0 प्रा.विवि / सा.सुसे / संविस / 2017 / 2257, दिनांक 03–07–2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
संचालनालय म.प्र.

F.T.O--2

संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755–2551387
e-mail: difbho@mp.gov.in

क्र.प्रा.वि.वि. / सा.सु.पें. / सविसं / 2017 / 2257 –   भोपाल, दिनांक 03–07–2017

प्रति,

1. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
2. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, निजी क्षेत्र के बैंक।
3. समस्त अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
4. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।

विषय.– भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राही के बैंक खाते में जमा की गई राशि के आहरण पर रोक नहीं लगाने बाबत्।

=0=

राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा उनके बैंक खाते में जमा की गई राशि पर बैंक शाखाओं द्वारा खाते में होल्ड अथवा राशि आहरण पर रोक लगा दी जाती है, जिसके कारण हितग्राही अपने खाते से राशि का आहरण नहीं कर पाते हैं।

आप अवगत ही हैं कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा किसी योजना अंतर्गत निर्गमित राशि किसी विशेष उद्येश्य के लिये निर्गमित की जाती है। ऐसी राशि को बैंक द्वारा अपने ऋणों की वसूली में समायोजित नहीं किया जा सकता है। अपितु हितग्राही द्वारा ऐसे उद्येश्य की पूर्ति हेतु ही राशि का उपयोग करना होता है।

अतः, आपसे अनुरोध है कि अपनी समस्त शाखाओं को इस बाबत निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि भारत सराकार / राज्य सरकार द्वारा किसी योजना अंतर्गत निर्गमित राशि के आहरण पर किसी प्रकार की रोक अथवा ऐसे खाते से उक्त राशि के आहरण हेतु होल्ड नहीं लगाया जाये। साथ ही ऐसी राशि को हितग्राही के किसी अन्य ऋण के विरुद्ध भी समायोजित नहीं किया जाये।

(अमित राठौर)
आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क्र.प्रा.वि.वि. / सा.सु.पें. / सविसं / 2017 / 2258 –   भोपाल, दिनांक 03–07–2017

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, संचालनालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन, मध्य प्रदेश, तुलसी नगर, भोपाल।
4. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, म0प्र0, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आयुक्त
संस्थागत वित्त